

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—412/2016/223 (2016/00412)

1. विक्रमसिंह पुत्र स्व० नाथूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र स्व० कूपसिंह, जाति रावत,
2. हजारी सिंह पुत्र स्व० कूपसिंह, जाति रावत,
3. रणजीतसिंह पुत्र स्व० कूपसिंह, जाति रावत,
4. चिमनसिंह पुत्र स्व० कूपसिंह जाति रावत,
5. श्रीमती माली बेवा स्व० कूपसिंह, जाति रावत, समस्त निवासी ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. भगवानसिंह पुत्र स्व० खंगारसिंह, जाति रावत,
7. मुकेश सिंह पुत्र स्व० खंगार सिंह, जाति रावत, नाबालिग जरिये वली माता एवं वली श्रीमती लाजू बेवा खंगार सिंह,
8. लाजू बेवा स्व० खंगारसिंह, जाति रावत, समस्त नि० आडली, मंगरी, ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. जवानसिंह पुत्र स्व० भोजसिंह, जाति रावत,
10. श्रीमती दाखू पत्नि स्व० भोजसिंह, जाति रावत,
11. नैनूसिंह पुत्र स्व० लाल, जाति रावत,
12. मोतीसिंह पुत्र स्व० लाला, जाति रावत, क्रम सं० 9 से 12 नि० ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।
13. हिम्मतसिंह पुत्र स्व० सरदारसिंह, जाति रावत,
14. दौलतसिंह पुत्र स्व० सरदारसिंह, जाति रावत,
15. खुमानसिंह पुत्र स्व० सरदारसिंह, जाति रावत,
16. भगवानसिंह पुत्र स्व० सरदारसिंह, जाति रावत,
17. श्रीमती अण्छी बेवा स्व० सरदारसिंह, जाति रावत, समस्त नि० आडली मंगरी, ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।
18. श्रीमती किशानी पत्नि प्रेमसिंह पुत्री स्व० सरदारसिंह, नि० बणजारी तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।
19. श्रीमती रूकमा पत्नि जैठसिंह पुत्री स्व० सरदारसिंह, जाति रावत, निवासी मोर भट्टा बिदुर जी, मेहन्दी फौवट्टी, तह० सोजत जिला पाली ।
20. श्रीमती झमकू पत्नि हुकमसिंह पुत्री स्व० सरदारसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम धापड़ा (झाडली)तह० देवगढ़, जिला राजसमंद ।
21. कु० सीता नाबालिग पुत्री स्व० बुद्धासिंह, जाति रावत,
22. कु० आशा नाबालिग पुत्री स्व० बुद्धासिंह, जाति रावत, दोनों जरिये कुदरती वली माता श्रीमती विमला बैवा बुद्धासिंह ।
23. श्रीमती विमला बेवा बुद्धासिंह, जाति रावत, नि० डाक बंगले के पास, जवाजा, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।
24. नारायण सिंह पुत्र स्व० राजूसिंह, जाति रावत, निवासी आडली मंगरी,

- ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
25. रूपसिंह पुत्र स्व0 राजूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
26. घीसी सिंह पुत्र स्व0 राजूसिंह, जाति रावत, नि0 आडली मगरी, ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
27. पहाड़सिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह, जाति रावत,
28. भूरसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह, जाति रावत,
29. लखूसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह, जाति रावत, (मृतक) जरिये वारिसानः—  
 29/1— श्रीमती झमकू बेवा स्व0 लखूसिंह, जाति रावत,  
 29/2— पंचमपालसिंह पुत्र स्व0 लखूसिंह, जाति रावत,  
 29/3— लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 लखूसिंह, जाति रावत,  
 तीनों निवासी ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।  
 29/4— श्रीमती सुनीता पत्नि महेन्द्रसिंह पुत्री स्व0 लखूसिंह, जाति रावत, निवासी बड़ा खेड़ा, भगवानपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।  
 29/5— श्रीमती आशा पत्नि नवलसिंह पुत्री स्व0 लखूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम मांडा, टॉटगढ़, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
30. श्रीमती मिट्ठूसिंह बेवा स्व0 जैतसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
31. श्रीमती तुलसी पत्नि हुकमसिंह पुत्री जैतसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम हरोदिया, पोस्ट ताल, तह0 देवगढ़, जिला राजसमंद ।
32. टीलसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत,
33. मूलसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत,
34. हुकमसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत,
35. श्रीमती पार्वती बेवा स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत, समस्त नि0 शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
36. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि फतेहसिंह पुत्री स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत, निवासी ठीकरवास, ठीमडी, तह0 भीम, जिला राजसमंद ।
37. श्रीमती मीना पत्नि देवेन्द्रसिंह पुत्री स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत, निवासी बड़ी का चौड़ा, टाटगढ़, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
38. श्रीमती सीता पत्नि पूनमसिंह पुत्री मालसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम हरोदिया, पोस्ट ताल, तह0 देवगढ़, जिला राजसमंद ।
39. अर्जुनसिंह पुत्र स्व0 रामसिंह, जाति रावत,
40. जालमसिंह पुत्र स्व0 रामसिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
41. सुजानसिंह पुत्र स्व0 रामसिंह, जाति रावत,, नि0 आडली मंगरी ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
42. केसरसिंह पुत्र स्व0 रामसिंह, जाति रावत,
43. अमरसिंह पुत्र स्व0 अजबसिंह, जाति रावत, (मृतक) जरिये वारिसानः—  
 43/1— श्रीमती कमला बेवा स्व0 अमरसिंह,  
 43/2— कु0 आशा पुत्री स्व0 अमरसिंह,  
 43/3— कु0 गुड्डी पुत्री स्व0 अमरसिंह,  
 43/4— सूरज पुत्र स्व0 अमरसिंह,  
 समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
44. हालसिंह पुत्र स्व0 अजबसिंह, जाति रावत,
45. खीमसिंह पुत्र स्व0 अजबसिंह, जाति रावत,
46. नन्दासिंह पुत्र स्व0 अजबसिंह, जाति रावत,
47. भंवर पुत्र स्व0 पूनमसिंह, जाति रावत,
48. श्रीमती हंगामी बेवा स्व0 पूनमसिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
49. कु0 इन्द्रा पुत्री स्व0 पूनमसिंह, जाति रावत, हाल नि0 बस स्टेण्ड भीम,

तह0 भीम जिला राजसमंद ।

50. श्रीमती कल्लू देवी पत्नि लक्ष्मणसिंह पुत्री स्व0 रामसिंह,  
51. श्रीमती फैफी पत्नि नैनूसिंह पुत्री स्व0 रामसिंह,  
जाति रावत, नि0 सोहनगढ, ताल लसाणी, तह0 भीम जिला राजसमंद ।

### रेस्पोंडेंटस

52. डूंगरसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह जाति रावत, (मृतक) जरिये वारिसान:-  
52/1- बलवीरसिंह पुत्र स्व0 डूंगरसिंह, जाति रावत,  
52/2- लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 डूंगरसिंह, जाति रावत,  
दोनों नि0 ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।  
52/3- सीता पुत्री स्व0 डूंगरसिंह पत्नि भोजरासिंह, जाति रावत, निवासी  
ग्राम नीमडी, छापली, तह0 देवगढ, जिला राजसमन्द ।  
52/4- श्रीमती निर्मला पुत्री स्व0 डूंगरसिंह पत्नि अजमाल सिंह, जाति  
रावत, निवासी मकान नं0 डी0बी0 23, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर  
नंबर 7, गुप्तेश्वर, हिरण मगरी, उदयपुर । (मृतक)  
53. नारायणसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत,  
54. श्रीमती धापू बेवा स्व0 गणपतसिंह, जाति रावत,  
55. जसवंतसिंह पुत्र स्व0 ज्ञानसिंह, जाति रावत,  
56. किशनसिंह पुत्र स्व0 ज्ञानसिंह, जाति रावत,  
57. श्रीमती धन्नी बेवा स्व0 रणजीतसिंह, जाति रावत,  
58. भूपेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रणजीतसिंह, जाति रावत, नाबालिग  
59. कालूसिंह पुत्र स्व0 रणजीतसिंह, नाबालिग  
रेस्पोंडेंट संख्या 58 व 59 नाबालिग जरिये कुदरती वली एवं माता श्रीमती  
धन्नी बेवा स्व0 रणजीसिंह ।  
समस्त निवासी ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

### प्रफोर्मा प्रत्यर्थागण

60. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।  
61. उप पंजीयक, ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

### रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध  
निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक  
22.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 105/2012.

### उपस्थित:-

1. श्री कुलवंतसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 59 अनपुस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोंडेंट संख्या 60 व 61.

## निर्णय

दिनांक:— 25.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने अधी०न्याया० में वाद अंतर्गत धारा 88, 92, 92-ए व 188 राज०काश्त०अधि० के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि मौजा दांदोला, तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 2630 रकबा 0-6-00 व 2631 रकबा 0-14-0, एवं 2632/2 रकबा 0-7-00 बीघा भूमियां स्थित हैं । उक्त भूमियों पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 52 लगायत 59 के पूर्वजों के जीवनकाल में गत 100 सालों से भी ज्यादा समय से काबिज होकर अपनी गायों, भैसों, बैलों, बकरे-बकरियों को चराने के लिए चारागाह के रूप में तथा उपरोक्त मवेशियों को बांधने के लिये बाड़ों के रूप में काम लेते आ रहे हैं, तथा विवादित भूमि पर काबिज होकर वर्णित उपयोग व उपभोग में कदीमी से खुले आम शांतिपूर्वक बिना किसी रोक-टोक के आज दिन तक चला आ रहा है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 52 लगायत 59 की खातेदारी की अन्य भूमियों व कुएं से अड़ाकर विवादित बीड़ों की भूमियां स्थित हैं तथा वादग्रस्त बीड़ों की भूमियों में छायादार वृक्ष इत्यादि लगाकर काफी हरा भरा बनाया है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 52 से 59 का कब्जा मुखालफाना के सिद्धांत व बॉर्डे ऑपरेशन ऑफ लॉ के अनुसार एवं धारा 27 लिमिटेशन एक्ट एवं धारा 63 राज०काश्त०अधि० के तहत भी लंबे समय से शांतिपूर्वक कब्जा व उपयोग, उपभोग में चले आने से उक्त वादग्रस्त बीड़ों की भूमियों बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 51 की खातेदारी को निरस्त कराने का अधिकारी है । वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51 दिनांक 24.5.2012 को विवादित भूमियों से बेदखल करने आये तथा धमकी दी कि विवादित भूमियों को खुर्द-बुर्द करके रहेंगे। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमियों का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 52 लगायत 59 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51 के इन्द्राज को निरस्त किया जावे । विद्वान अधी०न्याया० ने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी०न्याया० के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । मौजा दांदोला, तहसील ब्यावर में साबिक खसरा नंबर 2630 रकबा 0-6-00 व 2631 रकबा 0-14-0, एवं 2632/2 रकबा 0-7-00 बीघा की भूमियां स्थित चली आ रही हैं । उक्त भूमियों में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 52 लगायत 59 के पूर्वजों के जीवनकाल में गत 100 सालों से भी ज्यादा समय से काबिज होकर अपनी गायों, भैसों, बैलों, बकरे-बकरियों को चराने के लिए चारागाह के रूप में तथा उपरोक्त मवेशियों को बांधने के लिये बाड़ों के रूप में काम लेते आ रहे हैं, तथा विवादित भूमि पर काबिज होकर वर्णित उपयोग व उपभोग में कदीमी से खुले आम

शांतिपूर्वक बिना किसी रोक-टोक के आज दिन तक चला आ रहा है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 52 लगायत 59 की खातेदारी की अन्य भूमियों व कुएं से अडाकर विवादित बीड़ों की भूमियां स्थित है तथा वादग्रस्त बीड़ों की भूमियों में छायादार वृक्ष इत्यादि लगाकर काफी हरा भरा बनाया है । अधी०न्याया० के समक्ष वादी/अपीलांट ने अपने पूर्वजों के नाम की जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है जो जमाबंदी संवत् 1315 फसली है जिसमें वादग्रस्त भूमियां वादी/अपीलांट के पूर्वजों के नाम दर्ज चली आ रही है किन्तु भू-संशोधन के समय प्रतिवादी संख्या 1 से 51 के नाम गलत तौर पर अंकित कर दी गई परन्तु रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 51 का नाम दर्ज होने से अधी०न्याया० ने वादग्रस्त भूमियों पर अपीलांट का कब्जा नहीं मानने में त्रुटि कारित की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 52 लगायत 59 का कब्जा मुखालफाना के सिद्धांत व बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ के अनुसार एवं धारा 27 लिमिटेशन एक्ट एवं धारा 63 राज०काश्त०अधि० के तहत भी लंबे समय से शांतिपूर्वक कब्जा व उपयोग, उपभोग में चले आने से उक्त वादग्रस्त बीड़ों की भूमियों बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 51 की खातेदारी को निरस्त कराने का अधिकारी है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० ने कैम्प कोर्ट तारागढ़ में उक्त प्रकरण का निर्णय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किया है जो विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है । मृतक प्रतिवादी संख्या 10 व 17 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र निर्णित किये बिना अधी०न्याया० ने मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे भी निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० में वाद के सम्मन प्रतिवादीगण को सम्यक रूप से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा वादी द्वारा जो वादपत्र में अभिवचन वादग्रस्त आराजी बाबत् कथित किये गये, को विश्वसनीय नहीं मानकर विधिक भूल की है । क्योंकि यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 51 का वादग्रस्त भूमियों पर कब्जा होता तो वाद में उपस्थित होकर उक्त बाबत् ऐतराज पेश करते । अधी०न्याया० ने वादग्रस्त भूमियों पर पीढ़ियों पुराना कब्जा दस्तावेजात के अभाव में न मानने में भारी विधिक भूल की है जबकि अधी०न्याया० द्वारा कब्जे बाबत् पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर कब्जे की तस्दीक की जा सकती थी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । अपीलांट ने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है नियमों में कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । वादी/अपीलांट ने विवादित आराजियात पर 100-125 साल पुराना कब्जा काश्त होना अंकित कर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है किन्तु वादी/अपीलांट ने अपने पुराने कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । माननीय मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अधी०न्याया० ने वादी/अपीलांट वाद विधिसम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हमें

कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांत खारिज योग्य तथा अधीन्याया द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांत अपीलांत खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा वाद संख्या 98/2014 बउनवान विक्रयमसिंह बनाम प्रतापसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर